न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 12/2017

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष–1 सुशीला देवी उर्फ शिवारती देवी, पति स्व0 चन्द्र मुण्डा।
2 ललित मुण्डा, पिता चन्द्र मुण्डा।

बनाम

द्वितीय पक्ष– 1 माठु मुण्डा, पिता स्व0 सुखनु मुण्डा।
2 चम्पावती देवी, पति माठु मुण्डा।

उक्त वाद की कार्रवाई पुलिस निरीक्षक बसिया, अंचल, जिला गुमला के अप्राथमिकी सं0 05/2017 दिनांक 21.09.2017 धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गयी थी। प्रथम पक्ष के श्रीमती सुशीला देवी उर्फ शिवारती देवी पिता स्व0 छुन्नु मुण्डा ग्राम बसिया बुटटोली द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया के कार्यालय में विवाद संबंधी आवेदन दिया। आवेदन की जांच थाना प्रभारी बसिया से करायी गयी, जो अप्राथमिकी संख्या 05/17 दिनांक 21.09.2017 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 द्वारा उभय पक्षों को रोकने हेतु प्रतिवेदित है।

विवाद का बिन्दु खाता सं 64 प्लॉट 610 कुल रकबा 0.66 एकड़ में से 0.33 एकड़ है। प्रथम पक्ष के अनुसार यह भूमि प्रथम पक्ष के पिता स्व0 छुन्नु मुण्डा द्वारा रजिस्ट्री कर लिख दिया गया है जिसे दाखिल खारिज कराकर रसीद कटा रहे है तथा इस खाता, प्लॉट की जमीन 0.08 एकड़ बेच दिया गया है। जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त खाता प्लॉट की जमीन मेरे पूर्वज के नाम पर है, जो खतियान में दर्ज है। द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर उरद लगाया गया है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। अतः उरद का फसल काटने से रोकने का आग्रह थाना प्रभारी करते है। भूमि की चौहदी संबंधी विवरणी प्रस्तुत नही की गयी है।

प्रतिवेदन प्राप्त कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए विवादील भूखण्ड पर जाने से रोका गया एवं कारण पृच्छा की गयी। प्रथम पक्ष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित कारण पृच्छा में बतलाया है कि प्रश्नगत भूमि जोहन मुण्डा की खतियानी भूमि है इसके खतियानी रैयत जोहन मुण्डा, बंधन मुण्डा और पतरस मुण्डा सभी स्वर्गीय लोदो मुण्डा के पुत्र है। जोहन मुण्डा की मृत्यु नावल्द हुई। द्वितीय बधन मुण्डा के एकमात्र पुत्र सुखनु मुण्डा हुए इनके दो पुत्र माठु मुण्डा एवं थुपा मुण्डा हुए। तृतीय पतरस मुण्डा के एकमात्र पुत्र छुन्नु मुण्डा हुए छुन्नु मुण्डा के कोई पुत्र नहीं बल्कि एकमात्र पुत्री सुशीला देवी है।

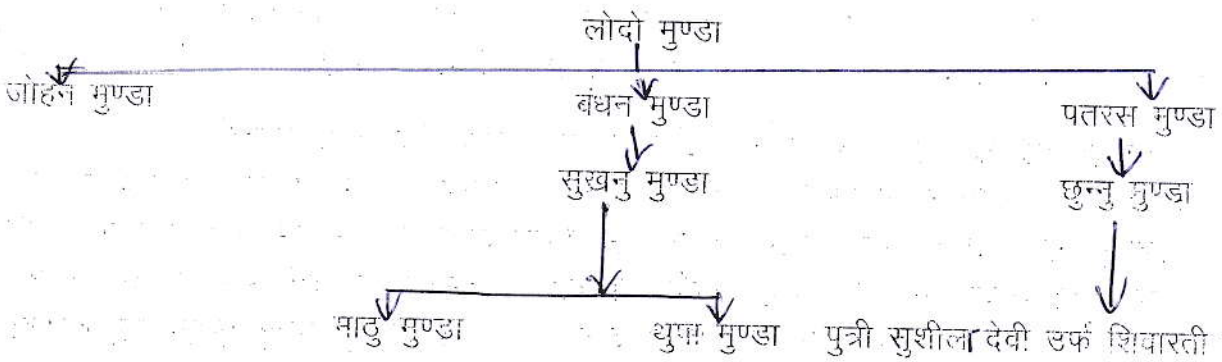

इस वाद के प्रथम पक्षकार द्वारा अपने पिता छुन्नु मुण्डा से Gift deed संख्या No 2387 दिनांक 02.12.2012 द्वारा प्राप्त किया है एवं दाखिल खारिज कराकर शांतिपूर्वक दखलकार है एवं इस वर्ष भी उरद की खेती की है। अपने जवाब के साक्ष्य स्वरूप केवाला पट्टा एवं लगान रसीद संख्या JH/03A 052835 प्रस्तुत करते है जो अद्यतन भुगतेय है साथ ही खतियान की प्रति भी प्रस्तुत करते है इस विक्रय केवाला के निष्पादन के पुर्व सक्षम न्यायालय से प्राप्त अनुमतिवाद 40/02–03 की प्रति भी प्रस्तुत करते है जो कि अभिलेख में संलग्न है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अब तक निरंतर स्मारित कराने के बाव जवाब दाखिल किया गया है द्वितीय पक्ष के अनुसार विवादित भू–खण्ड थाना बसिया खाता सं0 64 प्लॉट सं0 610 रकबा 0.66 एकड़ जमीन अम्बा टांड द्वितीय पक्ष के पूर्वजों की खतियानी भूमि है जिनके खतियानी रैयत जोहन मुण्डा, बंधना मुण्डा, पतरस मुण्डा पेशरान लोदो मुण्डा है। उक्त खाता का लगान रसीद द्वितीय पक्ष के बड़े पिता श्री मंगरा मुण्डा के नाम से कटती है। प्रथम पक्ष शादी शुदा महिला है। वह अपने ससुराल ग्राम अम्बवा थाना सिसई, जिला गुमला छोड़कर पिता के घर श्राद्ध कर्म में आई और बाजबरदस्ती रह गई है इस तरह अनूसूचित जनजाति विवाहित महिला का पिता के अचल सम्पति पर हक नहीं बनता। प्रथम पक्ष द्वारा झुठी बात दर्शायी गयी है कि मेरे पति रामचन्द्र मुण्डा की मृत्यु हो गयी है। रामचन्द्र मुण्डा अभी तक जीवित है। प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के खतियानी जमीन को हड़पने के लिए पति को मृत दिखाकर माईके में रहने का कारण बना रही है। द्वितीय पक्ष अनूसूचित जनजाति के सदस्य है एवं विवादित जमीन द्वितीय पक्ष की खतियानी जमीन है। अनूसूचित जनजाति में विवाहित पुत्री का अचल सम्पति पर किसी प्रकार का हक सरोकार नहीं है द्वितीय पक्ष पारिवारिक वंशावली प्रस्तुत करते है –

लोदो मुण्डा

जोहन मुण्डा(लावल्द मृत) | बंधना मुण्डा | पतरस मुण्डा

बंधना मुण्डा → सुखनु मुण्डा → माठु मुण्डा, टुमा मुण्डा

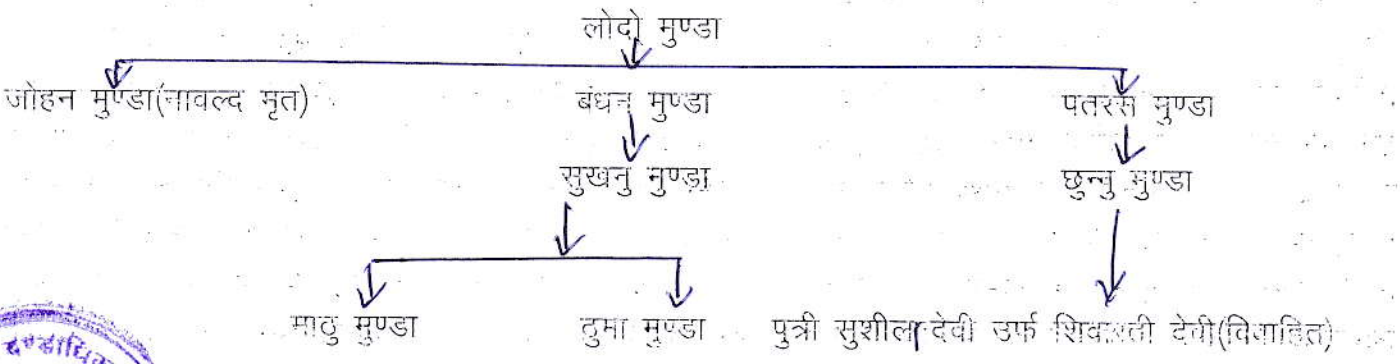

पतरस मुण्डा → छुन्नु मुण्डा → पुत्री सुशीला देवी उर्फ शिवास्ती देवी(विवाहित)

द्वितीय पक्ष के सदस्य अपने नीजी जमीन मे उरद की खेती किये है एवं सदियों से खेती करते आ रहे है अपने जवाब के समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाब, साक्ष्य एवं मौखिक बहस से स्पष्ट है कि विवादित भूमि लोदो मुण्डा की खतियानी भूमि है। इसके एक पुत्र पतरस मुण्डा के हिस्से की भूमि उनके पुत्र छुन्नु मुण्डा ने अपनी पुत्री सुशीला देवी उर्फ शिवास्ती देवी को सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर बिक्री की है। जिसका दाखिल खारिज कराकर प्रथम पक्ष मालगुजारी भी अदा कर रहे है।

सभी भूमि संबंधी कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के पास उक्त विवादि भू-खण्ड से संबंधित कोई कागजात नहीं है। अतः प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित करते हुए द्वितीय पक्ष क स्थिर किया जाता है।

09/12/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया।

09/12/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया।

ज्ञापांक 56 (1) दिनांक 27.1.18

प्रतिलिपि :– थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी, बसिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बसिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गोपालगंज)

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.12.26 12:50:35 +05:30
Location: 192.168.1.37